न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—08 / 2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़

——स्टेट

बनाम

कृष्ण कुमार उर्फ पूनियां पुत्र हेतराम जाति बावरी उम्र 30 साल, निवासी अमरपुरा थेहड़ी, पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ़।

——गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. श्री राजेश रोकणा अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

निर्णय **दिनांकः—12.03.2022**

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल कृष्ण कुमार उर्फ पूनियां पुत्र हेतराम जाति बावरी उम्र 30 साल, निवासी अमरपुरा थेहड़ी, पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। गैरसायल जवान उम्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो लड़ाई झगड़ा व मारपीट, चोरी, नकबजनी, अवैध शराब का धन्धा करने नाजायज हथियार रखने तथा लोकसेवकों को डराने, धमकाने व उनके साथ मारपीट करने का आदि है। इसकी आपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आम जनता में इसका खौफ है तथा इसके खौफ से आम आदमी भयभीत तथा इसकी शिकायत करने से लोग डरते है। गैरसायल की आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें अधिकतर अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र.सं.	मु. नं.	धारा	जेएफ नं.	नतीजा अदालत
1	345 / 2012	धारा 332, 353, 34 भादस	251 / 14	जैर तजवीज
2	827 / 2008	धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट	253 / 14	सजा 23.11.2013
3	111 / 2008	धारा 379 भादस	255 / 14	जैर तजवीज
4	487 / 2007	धारा 229 ए भादस	254 / 14	जैर तजवीज
5	159 / 2007	धारा 379 भादस	78 / 14	जैर तजवीज
6	244 / 2006	धारा 16 / 54 राज.आब. अधि.	276 / 06	सजा 28.05.2011
7	26 / 2006	धारा 379 भादस	795 / 06	जैर तजवीज
8	377 / 2005	धारा 392, 34 भादस, 3 / 25 आर्म्स एक्ट	516 / 05	जैर तजवीज
9	380 / 2005	धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट	एफआर अदमवकु	जैर तजवीज
10	121 / 2005	धारा 3 / 25 आर्म्स एकट	386 / 05	जैर तजवीज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैरसायल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल कृष्ण कुमार उर्फ पूनियां पुत्र हेतराम जाति बावरी उम्र 30 साल, निवासी अमरपुरा

थेहड़ी, पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल जरिये वकील उपस्थित होकर दिनांक 24.03.2017 को जवाब इस्तगासा पेश किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के वकील ने जवाब इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे सभी पुलिस द्वारा निहायत ही झूठे आधारों पर बनाया गया है। प्रार्थी से आमशांति को कोई खतरा नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमें झूठे तथ्यों पर आधारित है जो जैर विचारण है। किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को सजा नहीं हुई है। कुछ प्रकरण प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देश के अनुसार लोकअदालत की भावना से निस्तारण कराये गये है। जो कि सजा की श्रेणी में नहीं आते है। गत दस वर्षो के दौरान प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा नहीं हुआ है। इसके बाद प्रार्थी पर कोई नया मुकदमा नहीं बनाया है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि गैरसायल अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। गैरसायल द्वारा हल्फनामा दिनांक 24.02.2022 को इस आश्य का प्रस्तुत किया कि मेरे खिलाफ पुलिस द्वारा दर्शाये गये 9 मुकमें वर्ष 2005 व 2007 के होने बताये है। एक मुकदमा वर्ष 2012 का होना बताया है। उक्त मुकदमों का निस्तारण किया जा चुका है। गत दस वर्षो के दौरान प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा नहीं हुआ है। प्रार्थी वर्तमान में मजदूरी कर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन–यापन कर रहा है। प्रार्थी भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लुंगा इसके लिये अपने आप को पाबंद करता हूं। अतः गैरसायल की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए इसके विरूद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(I,III,VII) में वर्णित अपराध कारित किये है जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को आबकारी अधि. मे 900 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं आर्म्स एक्ट में 15000 रूपये के बन्ध–पत्र व इसी राशि का एक सक्षम प्रतिभूमि 01 वर्ष की अवधि के लिए पाबंद किया गये है। किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2005 से 2012 में दर्ज किये गये है इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। वकील गैरसायल ने बहस में निवेदन किया कि गैरसायल कृष्ण कुमार उर्फ पूनियां ने आज तक शांति बनाए रखी है। अब किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं करता है। गैरसायल वर्तमान में कोई गलत काम नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह अपना जीवन–यापन कर रहा है। अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में गैरसायल को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने व कस्बा में सामाजिक शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन द्वारा गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा ड्रॉप(Drop) किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़